

समाहरणालय, मधेपुरा

(आपूर्ति शाखा)

आदेश

सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 69(बजट)/खाद्य दिनांक 09.03.2017 से मुख्य शीर्ष 3456-सिविलपूर्ति, उपमुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 192, नगरपालिका/नगर परिषद को सहयता उपशीर्ष 0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता, हेतु विपत्र कोड सं0-पी0-3456001920101, मांग संख्या-18 राज्य योजना के विषयशीर्ष 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के अधीन आवश्यक वस्तुओं के उठाव एवं वितरण की निगरानी तथा अनुश्रवण नगरपालिका/नगर परिषद स्तरीय सतर्कता समिति एवं अनुश्रवण समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने पर बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए उपबंधित राशि को वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि0 दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक 423/वि0 दिनांक 31.03.2016 तथा पत्रांक 4572/वि0 दिनांक 03.06.2016 में निहित निदेश के अनुपालन में इस जिले के लिए प्राप्त मो0 303571.00 (तीन लाख तीन हजार पाँच सौ एकहत्तर) रुपये को निम्न प्रकार उपवांटित किया जाता है:-

क्र0	उपवांटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का पदनाम	उपवांटित राशि
1	2	3
1	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा।	303571.00
<b>योग:-</b>		<b>303571.00</b>

2. यह राशि मुख्यशीर्ष 3456-सिविल, उपमुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 192 नगरपालिका/नगर परिषद को सहायता, उपशीर्ष 0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति, विपत्र कोड सं0-पी0-3456001920101, मांग संख्या-18 राज्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2016-17 में विकलनीय होगी।

3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा एतद् संबंधी समय-समय पर निर्गत पत्रों/परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि उपवांटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से 25.03.2017 तक जिला आपूर्ति कार्यालय, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधित को दी जाय।

३०/-  
जिलाधिकारी,  
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....165...../आ0 मधेपुरा, दिनांक ...17...3...17...

प्रतिलिपि:- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,  
मधेपुरा।